परियोजना डेटा शीट का यह हिन्दी अनुवाद इसके अंग्रेजी संस्करण दिनांक 18 जून, 2015 पर आधारित है।

परियोजना डेटा शीट

परियोजना डेटा शीट (पीडीएस) में परियोजना अथवा कार्यक्रम के विषय में संक्षिप्त सूचना होती है। चूंकि पीडीएस एक प्रगति अधीन कार्य होता है, कुछ सूचनाएं इसके प्रारंभिक संस्करण में शामिल नहीं हो सकती हैं, परंतु इनके उपलब्ध होने पर शामिल कर ली जाएंगी। प्रस्तावित परियोजनाओं के बारे में सूचना अनन्तिम और संकेतात्मक है।

पीडीएस सृजन तिथि	–
पीडीएस अद्यतनीकरण की तिथि	21 मई, 15

परियोजना का नाम	कर्नाटक एकीकृत शहरी जल प्रबंधन निवेश कार्यक्रम – किश्त 1
देश	भारत
परियोजना/कार्यक्रम संख्या	43253-025
स्थिति	अनुमोदित
भौगोलिक अवस्थिति	–

इस प्रलेख में किसी कंट्री कार्यक्रम या रणनीति तैयार करने, किसी परियोजना के वित्तपोषण, अथवा किसी विशेष भूभाग अथवा भौगोलिक क्षेत्र को कोई पदनाम देने, अथवा संदर्भित करने में एशियाई विकास बैंक का आशय किसी भूभाग अथवा क्षेत्र की स्थिति के बारे में कानूनी या अन्य प्रकार से राय प्रकट करना नहीं है।

सेक्टर	जल आपूर्ति और अन्य नगरीय अवसंरचना तथा सेवाएं
उप सेक्टर	शहरी नीति, संस्थानिक तथा क्षमता विकास शहरी सीवरेज शहरी जल आपूर्ति
रणनीतिक कार्यमदें	पर्यावरण अनुकूल विकास (ईएसजी) समावेशी आर्थिक विकास (आईईजी)
परिवर्तन के प्रेरक	लैंगिक समानता और मुख्यधारीकरण (जीईएम) शासन और क्षमता विकास (जीसीडी) भागीदारियां (पीएआर) निजी क्षेत्र विकास (पीएसडी)
लैंगिक समानता और मुख्यधारीकरण संवर्ग	संवर्ग 2: कारगर लैंगिक मुख्यधारीकरण (ईजीएम)

वित्तपोषण

सहायता का प्रकार/रीति	अनुमोदन संख्या	निधीयन का स्रोत	अनुमोदित राशि (हजार US$)
ऋण	3148	साधारण पूंजी संसाधन	75,000
अनुदान	0399	शहरी पर्यावरण अवसंरचना निधि – यूएफपीई मल्टी	1,800
–	–	प्रतिपक्ष	40,200
योग			**US$ 117,000**

सुरक्षोपाय संवर्ग

सुरक्षोपाय संवर्गों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया देखें

http://www.adb.org/site/safeguards/safeguard-categories

पर्यावरण	B
अस्वैच्छिक पुनर्वास	B
स्वदेशी लोग	C

पर्यावरण तथा सामाजिक पहलुओं का सारांश

पर्यावरण पहलू

परियोजना 1 के लिए तीन प्रारंभिक पर्यावरण जांच तथा पर्यावरण प्रबंधन योजनाएं एडीबी के सुरक्षोपाय नीति प्रकथन और सरकारी विधियों के अनुसार तैयार की गई थीं। प्रारंभिक पर्यावरण जांच का निष्कर्ष था कि परियोजना 1 उपनगरों में प्रस्तावित यूडब्ल्यूएसएस आधारसंरचना विस्तार तथा पुनरूद्धार कार्यों को कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा। यह अनुमान लगाया गया है कि (i) गैर–राजस्व जल अवमंदन कार्यक्रम के कार्यान्वयन के माध्यम से जल दक्षता और सुरक्षा; तथा (ii) सीवरेज नेटवर्क्स, उपचार क्षमता तथा सफाई व्याप्ति के विस्तार के माध्यम से नदी जल की गुणवत्ता में सुधार के परिणामस्वरूप तीन उपनगरों की आबादी को शुद्ध पर्यावरण लाभ सकारात्मक एवं महत्वपूर्ण होंगे। प्रारंभिक पर्यावरण जांच में परियोजना कार्यान्वयन के दौरान किसी शिकायत या चिन्ताओं का सरल और शीघ्र निवारण सुनिश्चित करने के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं में निर्माण के अस्थायी प्रभावों को संबोधित करने के लिए यथेष्ट उपशमन उपाय किए गए हैं, जिनमें यातायात के प्रवाह तथा पहुंच को सीमित बाधा सुनिश्चयन के साथ यातायात प्रबंध शामिल है।

अस्वैच्छिक पुनर्वास

परियोजना उपनगरों में जल आपूर्ति और सीवरेज नेटवर्क्स के निर्माण एवं पुनरूद्धार के कारण दुकान मालिकों, ठेली–पटरी वालों तथा फेरी विक्रेताओं की आय हानि संबंधी अस्थायी प्रभावों का अनुमान लगाया गया है। ब्याडागी तथा देवेनगिर में सीवेज

ट्रीटमेंट प्लांट्स के निर्माण के लिए 12 भूस्वामियों की कुल 9.09 हेक्टेयर निजी कृषि भूमि अधिग्रहीत की जानी अपेक्षित है। नए सर्विस रिजर्वायर्स, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, लिफ्ट स्टेशन्स और सामुदायिक टॉयलेट्स मौजूदा सुविधाओं के भीतर अथवा सरकारी तथा/अथवा सामुदायिक भूमि पर अवस्थित होंगे।

हरिहर में सीवेज लिफ्ट स्टेशन के लिए एक स्वैच्छिक भू दान की पहचान की गई है। दान दी गई भूमि का स्वतंत्र तृतीय पक्ष विधिमान्यकरण किया गया तथा यह रिपोर्ट अंतिम हरिहर पुनर्वास योजना में शामिल की गई है। ब्याडागी तथा देवेनगिर की प्रारूप पुनर्वास योजनाएं इनके तैयार किए जाने के दौरान, एडीबी सुरक्षोपाय नीति वक्तव्य (2009) के अनुसार, प्रभावित व्यक्तियों के साथ परामर्श से तैयार की गई हैं। अंतिम पुनर्वास योजनाएं विस्तृत डिजाइन पूर्ण होने के बाद तैयार की जाएंगी तथा कार्यान्वयन से पहले एडीबी को उसके द्वारा समीक्षा एवं अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाएंगी। भूमि अधिग्रहण, पुनरूद्धार तथा पुनर्वास अधिनियम में उचित क्षतिपूर्ति और पारदर्शिता का भारतीय अधिकार 1 जनवरी, 2014 से लागू है।

स्वदेशी लोग

सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षणों के आधार पर परियोजना स्थलों में कोई स्वदेशी लोग निवास नहीं करते हैं। जल आपूर्ति एवं सीवरेज नेटवर्क्स में सुधार से सभी परिवार समान रूप से लाभान्वित होंगे।

स्टेकहोल्डर संचार, प्रतिभागिता और परामर्श

परियोजना डिजाइन के दौरान

सूचना प्रवाह : (i) परियोजना संबंधी जानकारी (दायरा और प्रगति) निर्णयकर्ताओं, जवाबदेह अभिकरणों, परामर्शदाताओं तथा ठेकेदारों के साथ साझा करने; (ii) परियोजना के बारे में समझाने तथा प्रभावित व्यक्तियों द्वारा उठाए गए मुद्दों को हल करने; तथा (iii) लाभार्थियों को क्षेत्र–स्तर पर गतिविधियों के मानीटरन में शामिल करने पर केन्द्रित होंगे। वेः (i) कार्यवाही तथा रणनीति कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कौन जवाबदेह है; तथा (ii) योजना और रणनीति के कार्यान्वयन हेतु क्या संसाधन अपेक्षित हैं, के बारे में जानकारी उपलब्ध कराते हैं।

परियोजना कार्यान्वयन के दौरान

कार्यान्वयन के पूरे दौर में सार्थक और व्यापक परामर्श जारी रहेगा। परियोजना के तहत क्षेत्रीय परियोजना प्रबंधन यूनिट में एक सामाजिक विकास परामर्शदाता की भर्ती की जाएगी, जो सामुदायिक प्रतिभागिता तथा विकास के प्रोत्साहन हेतु गरीबों, वंचितों तथा महिलाओं के निकट सहयोग में कार्य करेगा। लक्ष्य कार्यक्रम की सूचना देने तथा सामाजिक समावेशन में कार्यान्वयन अंतरालों की पहचान करने हेतु परिवार स्तर पर असहमति डेटा (जातीय, लिंग तथा सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति) संग्रहीत किए जाएंगे।

वर्णन

परियोजना 1 निवेश कार्यक्रम के अधीन वित्तपोषित की जाने वाली उपपरियोजनाओं की प्रतिनिधि है। निर्गत 1 के अधीन, परियोजना 1 में तुंगभद्रा उपघाटी के तीन उपनगरोंः ब्याडगी, देवनगिरि तथा हरिहर में शहरी जल आपूर्ति तथा सफाई (यूडब्ल्यूएसएस) आधारसंरचना का वित्तपोषण किया जाएगा।

परियोजना तर्काधार और देश/प्रादेशिक रणनीति के साथ जुड़ाव

परियोजना 1 शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी'ज) में व्याप्ति में व्यापक वैभिन्य विद्यमान है, जो हरिहर में 48 प्रतिशत से ब्याडगी में 64 प्रतिशत तक है। परियोजना 1 यूएलबी'ज में साझा पानी कनेक्शनों के उपयोग का दायरा 4 से 13 प्रतिशत तक है। हरिहर तथा ब्याडगी में करीब 40 प्रतिशत परिवार तथा देवनगिरि में 20 से 24 प्रतिशत परिवार सार्वजनिक नलों पर आश्रित हैं। किसी भी परियोजना 1 यूएलबी'ज में जल की लगातार आपूर्ति नहीं है। तीन परियोजना 1 यूएलबी'ज में प्रति व्यक्ति औसत जल खपत 60 लीटर प्रतिदिन से कम है तथा गरीबी रेखा से नीचे परिवारों में और भी कम है।

मलिन बस्तियों में रहने वाले परिवारों में 15 प्रतिशत परिवार कार्यक्रम क्षेत्रों के भीतर अवस्थित हैं। आधाररेखा सर्वेक्षण के परिणाम दर्शाते हैं कि कार्यक्रम क्षेत्रों के भीतर केवल 54 से 66 प्रतिशत के बीच लोगों को व्यक्तिगत टॉयलेट सुलभ हैं।

साझा टॉयलेट उपयोग 5 से 11 प्रतिशत के बीच है। खुले में मलत्याग का प्रतिशत 3 से 41 के बीच है। सीवरेज प्रणाली का दायरा 13 से 77 प्रतिशत के बीच है। आधाररेखा सर्वेक्षण के परिणाम आगे दर्शाते हैं कि परियोजना 1 क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे परिवारों का दायरा 17 से 37 प्रतिशत के बीच, महिला प्रधान परिवारों का दायरा 6से 11 प्रतिशत तथा अन्य वंचित परिवारों का प्रतिशत 26 है। परियोजना 1 में पर्यावरण संरक्षण के प्रोत्साहन हेतु (i) व्यापक, कुशल एवं निरंतर जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जल उपचार की वर्द्धित क्षमता (15,000 घन मीटर प्रति दिन) तथा जल आपूर्ति नेटवर्क्स में सुधार (1,065 किलोमीटर); तथा (ii) वर्द्धित अपजल उपचार क्षमता (4 नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स कुल क्षमता 48,000 घन मीटर प्रति दिन) तथा सीवरेज नेटवर्क्स में सुधार (365 किलोमीटर पाइप लाइन तथा 5,000 गरीबों के निमित्त टॉयलेट्स) उपलब्ध कराया जाएगा।

आउटपुट 2 से सुधार कार्यान्वयन तथा (i) यूएलबी प्रोत्साहन निधि का वित्तपोषण तथा (ii) सार्वजनिक दिशानिर्देशों का प्रारूप, (iii) चुनिंदा आईटी आधारित मॉड्यूल्स तैयार करने तथा तीन चुनिंदा उपनगरों में प्रायोगिक प्रारंभन हेतु सेवाएं (iv) जल स्कीमों में निष्पादन आधारित संविदाओं के माध्यम से निजी क्षेत्र प्रतिभागिता के मुख्यधारीकरण और (v) संचार एवं जागरूकता अभियान विकसित तथा प्रदान करने हेतु सहायता प्रदान की जाएगी। आउटपुट 3 के तहत परियोजना प्रबंधन तथा डिजाइन एवं निरीक्षण के साथ साथ केयूआईडीएफसी के वित्तीय मध्यस्थ अनिवार्यता तथा यूएलबी'ज के प्रशासनिक कार्यों की मजबूती (75 से अधिक पदाधिकारियों को प्रशिक्षण द्वारा) के लिए क्षमता विकास गतिविधियों हेतु परामर्शिता का वित्तपोषण किया जाएगा।

विकास प्रभाव

ऊपरी तुंगभद्रा उपघाटी में स्थायी जल सुरक्षा में सुधार

परियोजना परिणाम

परिणाम का वर्णन	परिणाम की दिशा में प्रगति
ऊपरी तुंगभद्रा उपघाटी के चुनिंदा शहरी क्षेत्रों में जल संसाधन प्रबंधन का सुधार	–

आउटपुट और कार्यान्वयन प्रगति

परियोजना आउटपुट्स का वर्णन	कार्यान्वयन प्रगति की स्थिति (आउटपुट्स, गतिविधियां तथा मुद्दे)
ऊपरी तुंगभद्रा उपघाटी के तीन उपनगरों में यूडब्ल्यूएसए आधारसंरचना का विस्तार और समुन्नतन। जल संसाधन योजना, मानीटरन तथा सेवा प्रदायगी में सुधार। केयूआईडीएफसी तथा यूएलबी'ज की प्रचालन और प्रशासनिक क्षमता का सुदृढ़ीकरण।	–
विकास उद्देश्यों की स्थिति	प्रचालन/निर्माण की स्थिति
–	–
महत्वपूर्ण परिवर्तन	
–	

व्यवसाय अवसर

प्रथम सूचीयन की तिथि	18 जुलाई, 14
परामर्शी सेवाएं सभी परामर्शदाताओं तथा गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ'ज) को वित्तपोषण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। केयूआईडीएफसी को परामर्शदाताओं की नियुक्ति तथा प्रबंधन का दीर्घानुभव है। एडीबी अपनी संतुष्टि करेगा कि परामर्शदाताओं की नियुक्ति एडीबी के दिशानिर्देशों के क्लॉज 1.8 के अनुसार है।	
अधिप्राप्ति माल और कार्यों की सभी अधिप्राप्तियां एडीबी के अधिप्राप्ति दिशानिर्देश (2013 समय समय पर संशोधित अनुसार) के अनुसार की जाएगी। राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोलीदान हेतु सहमत मानक बोली दस्तावेज इस सुविधा के अधीन सभी परियोजनाओं के अतर्गत उपयोग हेतु लागू होंगे।	
अधिप्राप्ति तथा परामर्श–सूचनाएं http://www.adb.org/projects/43253-025/business-opportunities	

समयसारणी

संकल्पना स्वीकृति	–
तथ्य–अन्वेषण	–
प्रबंधन समीक्षा बैठक	9 जुलाई, 13
अनुमोदन	29 जुलाई, 14

उपलब्धियां

अनुमोदन सं.	अनुमोदन	हस्ताक्षरण	प्रभावी तिथि	समापन		
				मूल	संशोधित	वास्तविक
ऋण 3148	29 जुलाई, 14	30 दिसम्बर, 14	7 मई, 15	30 सितम्बर, 19	–	–

उपयोग

तिथि	अनुमोदन संख्या	एडीबी (हजार अमेरिकी डालर)	अन्य (हजार अमेरिकी डालर)	शुद्ध प्रतिशत
संचयी संविदा अधिनिर्णय				
17 जून 2015	ऋण 3148	0	0	0.00%
संचयी संवितरण				
17 जून 2015	ऋण 3148	0	0	0.00%

उपसंविदाओं की स्थिति

उपसंविदाएं निम्नलिखित संवर्गों में वर्गीकृत की जाती हैं – लेखापरीक्षित लेखा, सुरक्षोपाय, सामाजिक, सेक्टर, वित्तीय, आर्थिक तथा अन्य। उपसंविदा अनुपालन का मूल्यांकन निम्नलिखित मानदंड लागू करने द्वारा किया जाता है: (i) संतोषजनक – इस संवर्ग में सभी उपसंविदाओं का अनुपालन अधिकतम एक अपवाद के साथ किया जा रहा है; (ii) आंशिक रूप से संतोषजनक – अधिकतम दो उपसंविदाओं का अनुपालन नहीं किया जा रहा है; (iii) असंतोषजनक – तीन या अधिक उपसंविदाओं का अनुपालन नहीं किए जाने पर इस संवर्ग में रखी जाती हैं। लोक संचार नीति 2011 के अनुसार परियोजना वित्तीय प्रकथनों हेतु उपसंविदा अनुपालन मूल्यांकन केवल उन परियोजनाओं पर लागू होता है, जिनका वार्ता हेतु आमंत्रण 2 अप्रैल, 2012 के पश्चात का है।

अनुमोदन सं.	वर्ग						
	सेक्टर		सेक्टर		सेक्टर		सेक्टर
ऋण 3148	–		–		–		–

सम्पर्क तथा अद्यतन विवरण

जिम्मेदार एडीबी अधिकारी	नोरियो साइतो (nsaito@adb.org)
जिम्मेदार एडीबी विभाग	दक्षिण एशिया विभाग
जिम्मेदार एडीबी प्रभाग	शहरी विकास तथा जल प्रभाग, एसएआरडी
निष्पादक अभिकरण	–

लिंक्स

परियोजना वेबसाइट	http://www.adb.org/projects/43253-025/main
परियोजना दस्तावेजों की सूची	http://www.adb.org/projects/43253-025/documents